न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :– राम लाल मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या –25 / 2023

उनवान

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1.सामाराम पुत्र किशनाराम जाति मेघवाल निवासी सुराली तहसील रामसर जिला बाडमेर।		1.गिरधारी पुत्र काला 2.गुणेशा पुत्र मुला 3.सवाई पुत्र मुला 4.भंवरा पुत्र मुला 5.उकरडा पुत्र मुला 6.ईन्द्रा पुत्र मुला 7.नखता पुत्र आतम 8.बलु पुत्र आतम 9.टीका पुत्र आतम 10.काना पुत्र आतम 11.इमिया पत्नी आतम 12.पारस पुत्र आतम 13.लाला पुत्र कूचटा 14.मेऊ पुत्र कुचटा 15.कमली पत्नी कूचटा जाति मेघवाल निवासी सुराली तहसील रामसर जिला बाडमेर। 16.शाख प्रबंधक एसबीआई रामसर 17. तहसीलदार रामसर।

सहायक कलक्टर रामसर (बाड़मेर)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 25 / 2023 :– **निर्णय** :– दिनांक :–.13.05.2026

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा **उभरे का पार** पटवार मण्डल **गरड़िया** , भूअनि भीण्डे का पार के खसरा संख्या **145** रकबा **3.4803** हेक्टैयर, खसरा संख्या **401 / 135** रकबा 0.2914 हेक्टेयर, खसरा संख्या 399 / 145 रकबा 2.1367 हेक्टेयर तथा खसरा संख्या 403 / 145 रंकबा 0.2266 हेक्टेयर किस्म भूमि बा.दो.में वादी एवं प्रतिवादीगण की आयी हुई है जिसमें हिस्से खुले हुये है तथा मौखिक बंटवाड़ा अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहे है तथा उसी अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादीगण काबिज है। वादग्रस्त आराजी में बाई मीटीस एण्ड बाउण्डस विभाजन करने हेतु यह वाद दिनांक **02.08.2023** को जरिये अधिवक्ता श्री रविन्द्र कुमार गोदारा द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली तलब कर दस्तावेज शामिल पत्रावली करनें बाबत प्रस्तुत किया गया। एंव इस न्यायालय के पत्रांक / कोर्ट / 2026 / 187 दिनांक 23.03.2026 द्वारा तहसीलदार रामसर से विभाजन प्रस्ताव चाहा गया। जो तहसीलदार रामसर के पत्रांक / भू.अ. / 2026 / . 1301 दिनांक 06.05.2026 द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को दिनांक 08.05.2026 को प्राप्त हुआ जिसे रेकर्ड पर लेकर शामील मिशल किया गया । विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव [illegible] दिनांक 05.05.2026 के अनुसार स्वीकार किये जानें का निवेदन किया। [illegible] अवलोकन किया गया। बहस पक्षकारानों की भूमि विभाजन किया जावें। अतः प[illegible] श्री [illegible] भाटी के द्वारा सुनी गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 [illegible] लेकर शामिल पत्रावली ईकबालिया जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे स्वीकार [illegible] भूमिधारी होनें से औ[illegible] किया गया। एंव प्रतिवादी संख्या 16 बैंक व प्रतिवादी संख्या 17 भूमिधारी होनें से औ[illegible] रूप से संयोजित किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्ता[illegible] एंव मौखिक साक्ष्य तथा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.05.21 16:12:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर

Scanned with OKEN Scanner

के प्रस्ताव के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा उमरे का पार मण्डल **गरड़िया** , भूअनि भीण्डे का पार के खसरा संख्या **145** रकबा **3.4803** हेक्टेयर, खसरा संख्या **401/135** रकबा **0.2914** हेक्टेयर, खसरा संख्या **399/145** रकबा **2.1367** हेक्टेयर तथा खसरा संख्या **403/145** रकबा **0.2266** हेक्टेयर किस्म भूमि बा.दो भूमि में संलग्न तहसीलदार रामसर द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में निम्न विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया।

क. स.	खातेदार	खसरा संख्या	रकबा हेक्टेयर	किस्म	बंरग
1.	1.सामाराम पुत्र किशनाराम जाति मेघवाल सा. सुराली खातेदार रहन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रामसर।	399/145	2.1367	बा.दो.	लाल
		145	0.9308	बा.दो.	लाल
		02	**3.0675**	**बा.दो.**	
2.	1.इन्द्रा पुत्र मूला हिस्सा 1/20 2.भंवरा पुत्र मूला हिस्सा 1/20 3.सवाई पुत्र मूला हिस्सा 1/20 4.उकरडा पुत्र मूला हिस्सा 1/20 5.गुणेशा मूला हिस्सा 1/20 6.टीका पुत्र आतम हिस्सा 1/20 7.बलू पुत्र आतम हिस्सा 1/20 8.इमिया पत्नी आतम हिस्सा 1/20 9.काना पुत्र आतम हिस्सा 1/20 10.नखता पुत्र आतम हिस्सा 1/20 11.पार पुत्र कुचटा हिस्सा 1/16 12.मेउ पुत्र कुचटा हिस्सा 1/16 13.लाला पुत्र कुचटा हिस्सा 1/16 14.कमली पत्नी कुचटा हिस्सा 1/16 15.गिरधारी पुत्र काला हिस्सा 1/4 जाति मेघवाल निवासी सुराली खोतेदार	403/145	0.2266	बा.दो.	हरा
		401/145	0.2914	बा.दो.	
		145	2.5495	बा.दो.	
		03	**3.0675**	**बा.दो.**	

सहायक कलक्टर रामसर (बाड़मेर)

उक्त विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार रामसर द्वारा प्राथमिक विभाजन के आदेश की पालना में प्रेषित किया हैं उक्त दोनों अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई उस पर मनन किया गया । वादीगण वकील प्रतिवादी वकील द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमती जाहिर की, एवं वाद अन्तिम निर्णय व डिक्री जारी करनें का निवेदन किया। अतः पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया, प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव बाई मीटीस एण्ड बाउण्डस अनुसार अंतिम विभाजन करनें के आदेश पारित किये जाते हैं । तहसीलदार रामसर द्वारा प्रस्तुत विभाजन मुतिब हो तदनानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। अंतिम डिक्री अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा शीट में इन्द्राज करना सुनिश्चित करें। पत्रावली में संलग्न विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेश इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें। तदनूसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.05.21 16:42:30 IST
Reason: SelfAttested

(रामलाल मीणा)
सहायक कलक्टर रामसर

सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर

Scanned with OKEN Scanner